

भारत में मुफ्त कानूनी सहायता: किसे मिलती है और कैसे माँगे

यह कब काम आता है

- आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते
- हिरासत में परिवार के सदस्य को वकील चाहिए
- आप जानना चाहते हैं कि आप या कोई परिचित पात्र है या नहीं

कदम-दर-कदम

1. देखें कौन पात्र है

अधिनियम में महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति और राज्य की तय आय सीमा से कम वाले जैसे वर्ग हैं। मौजूदा सूची देखें।

2. विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलें

ज़िला अदालत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, या NALSA की वेबसाइट इस्तेमाल करें।

3. ज़रूरी कागज़ों के साथ आवेदन करें

पहचान पत्र, और ज़रूरत हो तो आय प्रमाण या श्रेणी प्रमाणपत्र ले जाएँ। अपने मामले की संक्षेप में जानकारी दें।

4. हेल्पलाइन इस्तेमाल करें

NALSA की कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 है।

ज़रूरी बातें

- पात्रता और आय सीमा राज्य के अनुसार बदलती है
- सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण देते हैं, Shikayat नहीं
- NALSA हेल्पलाइन: 15100

हेल्पलाइन: साइबर ठगी 1930 · उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · महिलाएँ 181 · आपातकाल 112 · मुफ्त कानूनी सहायता 15100